Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Not Applicable.	Two years (For direct recruits).	By deputation (including short term contract) failing which by Direct recruitment.	**By deputation (including short term contract) Officers of the Central Government, State Government, Union territories, autonomous or statutory organization, PSUs, University or Recognised Research Institutions:** (a) (i) Holding analogous post on regular basis in the present cadre or department; or (ii) with Five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in the Level 4 (Rs.25500-81100) or equivalent in the present cadre or department; and (b) Having five experience of photography or videography	**Group 'C' Departmental Promotion Committee for Confirmation:-** 1. Additional Director- All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata - Chairman. 2. One Group 'A' Officer to be nominated by the Director, All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata - Member 3. Professor (Health Promotion & Education), All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata - Member.	Not applicable

[F. No. A. 60011/05/2018-ME/Trg.]

RAJEEV KUMAR, Under Secy.

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग)

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2022

सा. का. नि. 148.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में आशुलिपिक के पद पर भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करते हुए एतदद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात : -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) इन नियमों को 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग', आशुलिपिक समूह 'ग' भर्ती नियमावली, 2022' कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वेतन मैट्रिक्स में वर्गीकरण तथा स्तर (लेवल) - उक्त पद की संख्या, तत्संबंधी संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में उनका वर्गीकरण और स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ सलंग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अर्हताएं आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं (अर्हताएं) और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. प्रारंभिक संरचना - (1) नियमित आधार पर आशुलिपिक के पद धारण करने वाले पदधारियों को इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

(2) इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले उप नियम (1) में निर्दिष्ट पदधारियों की नियमित निरंतर सेवा को परिवीक्षा, वरिष्ठता, पदोन्नति के लिए अर्हक सेवा, स्थायीकरण और सेवा में पेंशन के प्रयोजनों के लिए गिना जाएगा।

5. अयोग्यता (अपात्रता) – कोई भी व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसकी पत्नी/पति जीवित है, अथवा

(ख) जिसकी पत्नी/पति जीवित है, ने किसी भी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है,

उपरोक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार, यदि संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह वाले अन्य पक्ष के लिए लागू सवीय विधि (पर्सनल लॉ) के तहत अनुज्ञेय है और उस व्यक्ति के द्वारा ऐसा करने के अन्य कारण हैं तो किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने में छूट प्रदान कर सकती है।

6. शिथिल करने की शक्ति – जहां केंद्रीय सरकार का यह विचार है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेशानुसार, कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान के तहत शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति (अपवाद) – इन नियमों में से कोई भी नियम इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुसूची

पद का नाम:	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या यह चयन पद है या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु - सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक	2* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनाधीन	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, लिपिकवर्गीय'	लेवल-4 (रु. 25500-81100/-)	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक की छूट) **नोट:** आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित तिथि के अनुसार होगी।

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं।	**क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामलों में भी लागू होगी।**	**परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।**
(7)	(8)	(9)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष। (ii) कौशल परीक्षण जांच के मानदंड: श्रुतलेख: 80 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट के लिए। **प्रतिलेखन:** 50 मिनट (अंग्रेज़ी) या कंप्यूटर पर 65 मिनट (हिंदी)। **नोट 1:** अन्यथा सुयोग्य प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेक पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है। **नोट 2:** अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामलों में यदि चयन के किसी भी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग की राय है कि इन समुदायों के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो अनुभव से संबंधित योग्यता में कर्मचारी चयन आयोग के विवेक पर छूट दी जा सकती है।	लागू नहीं	दो वर्ष

इनमें से भर्ती का तरीका क्या है- सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता बताएं।	**पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वह ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।**
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा- **नोट:** पदधारियों के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे लंबी अवधि के लिए दूर रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर भरा जा सकता है: (क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले; तथा (ख) कॉलम 7 के तहत निर्धारित योग्यता रखने वाले	लागू नहीं।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जा सकता है।**
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए), की संरचना: -	लागू नहीं।

1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग - अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (स्थापना) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग- सदस्य; तथा 3. उप निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग- सदस्य।	

[फा. सं. 20025/36/2021-एनसीएसटी]

अरविन्द मुदगल, अवर सचिव

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(National commission for Scheduled Tribes)

New Delhi, the 3rd October, 2022

G.S.R. 148.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer in the National Commission for Scheduled Tribes, namely: -

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the National Commission for Scheduled Tribes, Stenographer (Group 'C') Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, level in pay matrix. - The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.- The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Initial Constitution. - (1) The incumbents holding the posts of Stenographer on regular basis, shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.

(2) The regular continuous service of incumbents referred to in sub rule (1) prior to the commencement of these rules shall count for the purposes of probation , seniority, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.

5. Disqualification . – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

6. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection or non-selection post.**	**Age – limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Stenographer	2* (2022) *Subject to variation dependent on	General Central Service, Group-C, 'Non-Gazetted', Ministerial.	Level-4 (Rs. 25500-81100/-)	Not applicable	18 to 27 years (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with instructions or

	workload.				orders issued by the Central Government) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(7)	**(8)**	**(9)**
(i)12th Class pass or equivalent from a recognized Board or University. (ii) Skill Test Norms : Dictation: 10 minutes at the rate of eighty words per minute. Transcription: 50 minutes (English) or 65 minutes (Hindi) on computer. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.**
(10)	**(11)**
By direct recruitment **Note:** Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstance for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of Central Government : (a) holding analogous post on regular basis; and (b) possessing the qualifications prescribed under Column 7.	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation), consisting of: - 1. Director or Deputy Secretary (Administration),	Not applicable.

National Commission for Scheduled Tribes - Chairman ; 2. Under Secretary (Establishment) National Commission for Scheduled Tribes- Member ; and 3. Deputy Director, National Commission for Scheduled Tribes- Member.	

[F. No. 20025/36/2021-NCST]

ARVIND MUDGAL, Under Secy.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 149.—राष्ट्रपति**,** संविधान के अनुच्छेद **309** के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रकाशन विभाग **(**वर्ग **3** पद**)** भर्ती नियम**, 1968** को**,** जहाँ तक उनका संबंध विक्रय सहायक के पद से है**,** उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए**,** जिन्हें अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है**,** प्रकाशन प्रभाग**,** सूचना और प्रसारण मंत्रालय में विक्रय सहायक समूह **'ग'** के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं**,** अर्थात् **:-**

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रकाशन विभाग, विक्रय सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स मे स्तर : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है**;** या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है**,**

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।